बिहार सरकार
कृषि विभाग

संचिका संख्या–मो० –20/15(सांख्यिकी)– 1998 /कृ0, पटना, दिनांक 28 अप्रैल, 2015

प्रेषक,

रामजी सिंह,
संयुक्त सचिव, कृषि, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।
(गोपालगंज को छोड़कर)

विषय : **वर्ष 2014–15 के रबी/गर्मा मौसम में राज्य में ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से फसल क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु प्रभावित किसानों को कृषि इनपुट अनुदान के वितरण हेतु अनुदेश।**

प्रसंग : कृषि विभाग का पत्रांक 1994 दिनांक 27.04.2015

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2014–15 के रबी/गर्मा मौसम में राज्य में ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से फसलों की क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु कृषि इनपुट अनुदान मद में आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त आवंटन को कृषि विभाग के पत्रांक 07(आवंटन) दिनांक 27.04.2015 के द्वारा उपावंटन किया जा चुका है।

उक्त राशि के वितरण हेतु कृषि विभाग के पत्रांक 1994 दिनांक 27.04.2015 द्वारा निर्गत पत्र को विलोपित किया जाता है। उपावंटित राशि का वितरण आवंटन आदेश 07(आवंटन) दिनांक 27.04.2015 के अनुसार कराया जाय।

उपलब्ध करायी गयी राशि का वितरण के संबंध में मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :–

1. सहायता राशि का वितरण भारत सरकार का पत्रांक 32–7/2014– NDM–I दिनांक 08.04.2015 की कंडिका 5B के अनुसार किया जाएगा।
2. सीमान्त एवं लघु कृषकों को कृषि फसल/खड़ी फसल की 33 प्रतिशत से अधिक क्षति की स्थिति में लिए असिंचित कृषि भूमि के लिए 6800 रू0/हे०, सिंचित कृषि भूमि के लिए 13500 रू0/हे० तथा पैरिनियल फसल के लिए 18000 रू0/हे० की दर से अनुदान देय होगा। छोटी जमीन वाले छोटे किसान को अनुदान की राशि कृषि फसल की क्षति के लिए 1000 रू0 एवं पैरिनियल फसल की क्षति के लिए 2000 रू0 से कम नहीं दी जाएगी।
3. लघु एवं सीमान्त कृषकों से भिन्न कृषकों को उपरोक्त कंडिका 5B(ii) में वर्णित दर से अधिकतम 2 हे० के लिए ही अनुदान देय होगा।
4. बिना बुआई किए या परती कृषि भूमि के लिए कोई इनपुट अनुदान देय नहीं होगा।
5. जिला पदाधिकारी द्वारा कृषि विभाग से प्राप्त राशि का उपावंटन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी को क्षतिग्रस्त भूमि के रकवा के आधार पर किया जायेगा। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी राशि की निकासी करेंगे एवं उनके द्वारा इस मद की राशि हेतु पृथक रोकड़ बही का संधारण किया जायेगा।
6. इसके लिए तैयार कृषकों की सूची को हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचलाधिकारी से सत्यापन निश्चित रूप से करायी जाय।
7. सूची तैयार करने के उपरांत प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा वितरण पंचायत राहत अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति की देखरेख में कराई जाएगी। उक्त समिति का गठन आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक–1388 दिनांक 24 जुलाई, 2004 द्वारा किया गया है जो निम्नवत है :–

1. मुखिया	अध्यक्ष
2. पंचायत वार्ड के सदस्यगण	सदस्य
3. विगत चुनाव में मुखिया पद के लिए हारे हुए निकटतम उम्मीदवार (प्रतिद्वंदी)	सदस्य
4. सभी राजनैतिक दलों के एक–एक प्रतिनिधि	सदस्य
5. पंचायत समिति के सदस्य जो पंचायत क्षेत्र के निवासी हों	सदस्य
6. पंचायत सेवक/राजस्व कर्मचारी	सदस्य सचिव

8. वितरण के पूर्व किसानों की सूची को जिला के बेवसाईट पर सर्वसाधारण को अवलोकनार्थ अपलोड किया जाएगा। साथ हीं सूची को सम्बन्धित अंचल/प्रखंड के सूचना पट्ट पर भी प्रकाशित किया जाएगा।
9. सभी किसानों को कृषि इनपुट अनुदान का भुगतान आर0 टी0 जी0 एस0/ एकाउंट पेयी चेक द्वारा की जायेगी। नगद भुगतान वर्जित किया जायगा। सभी कृषकों का हस्ताक्षर अथवा अंगूठा का निशान मुखिया या पंचायत सेवक/जनसेवक/राजस्व कर्मचारी की उपस्थिति में लिया जायेगा जिनका दायित्व किसानों की पहचान करने का होगा।
10. पूरे कृषि इनपुट अनुदान वितरण कार्यक्रम की विडियोग्राफी भी कराई जाय एवं भुगतान में बिचौलियों की भूमिका को नगण्य करने हेतु सभी आवश्यक उपाय किये जाय। इस प्रकार कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर बेहिचक कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

कृपया उपर्युक्त दिशा–निदेशों के तहत प्रभावित किसानों की पहचान कर अविलंब भुगतान करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

28/4/15

(रामजी सिंह)

संयुक्त सचिव, कृषि, बिहार।

ज्ञापांक : 1998 दिनांक : 28-4-2015

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों/सभी जिला के प्रभारी सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/4/15

संयुक्त सचिव, कृषि, बिहार।

ज्ञापांक : 1998 दिनांक : 28-4-2015

प्रतिलिपि : सभी संयुक्त निदेशक(शष्य), परिक्षेत्र/सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/4/15

संयुक्त सचिव, कृषि, बिहार।

ज्ञापांक : 1998 दिनांक : 28-4-2015

प्रतिलिपि : अपर सचिव, कृषि विभाग/निदेशक, पी० पी० एम०/ सहायक सांख्यिकीज्ञ–सह–प्रभारी पदाधिकारी, बजट, कृषि विभाग /आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

28/4/15

संयुक्त सचिव, कृषि, बिहार।

ज्ञापांक : 1998 दिनांक : 28-4-2015

प्रतिलिपि : कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

28/4/15

संयुक्त सचिव, कृषि, बिहार।